न्यायालयः- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मनोहरथाना जिला-झालावाड़ (राज)

पीठासीन अधिकारी	-	**श्री शारिक हुसैन, आर०जे०एस०**
फौ०नि०प्रकरण संख्या	-	**471/2020 (138A/2018)**
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं०	-	**18/2018,**
पुलिस थाना	-	**मनोहरथाना**
सी.एन.आर. नम्बर	-	RJJW180002462020

सरकार

अभियोगी...

बनाम

1. अशोक पुत्र बनवारी लाल उम्र 51 वर्ष निवासी किला अमरगढ़ पुलिस थाना कालीपीठ जिला राजगढ़ (म.प्र.)

2. बीरम पुत्र धुलीलाल उम्र 52 वर्ष निवासी खानपुरिया पुलिस थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज०)

अभियुक्तगण...

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 146/196 मोटर वाहन अधिनियम

उपस्थितः-

1- विद्वान अभियोजन अधिकारी राज्य सरकार की ओर से।

2- श्री कैलाशचंद वैष्णव, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से।

निर्णय **दिनांक- 12.03.2026**

घटना की दिनांक	13.01.2018
प्रथम सूचना की दिनांक	13.01.2018
अंतिम परिणाम प्रस्तुत करने की दिनांक	12.02.2018
आरोप विरचन की दिनांक	12.02.2018
साक्ष्य आरंभ होने की दिनांक	12.02.2018
निर्णय की दिनांक	12.03.2026
निर्णय	दोषमुक्त

01. थानाधिकारी पुलिस थाना, मनोहरथाना की ओर से जर्ये अभियोजन अधिकारी यह आरोप पत्र भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338, 304ए एवं एम.वी. एक्ट की धारा 146/196 का अपराध

कारित किए जाने का अभियोग लगाते हुए अभियुक्तगण अशोक एवं बीरम के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 12.02.2018 को पेश किया गया।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 13.01.2018 को गिरधारी लाल ने सीएचसी मनोहरथाना में एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि आज दिनांक 13.01.2018 को उसका जवाई सुरेश व लडकी गुड्डी बाई व उनके बच्चे संजना व दो छोटी बच्चियां मोटरसाईकिल नम्बर एम.पी. 08 एम.पी. 1812 होण्डा साईन से उनके गांव मवासा कला (म.प्र.) से उसके घर पर चांदपुरा कस्बा आ रहे थे कि दोपहर 2 बजे बीनागंज रोड मनोहरथाना सेमलीहाट जोड पहुंचते ही सेमलीहाट की तरफ से एक ट्रैक्टर महिन्द्रा 575 डी.आई. लाल रंग कम्पनी को उसका चालक तेज गति व लापरवाही से चलाकर लाया और उसके जवाई सुरेश की मोटरसाईकिल के जोर से टक्कर मारी। टक्कर मारने से संजना के सिर में गंभीर चोट आने से उसकी मौके पर मृत्यु हो गई व उसकी लडकी गुड्डी बाई के पैर, हाथ व नाक एवं जवाई सुरेश के दोनों पैरों, हाथ व मुंह पर गंभीर चोटें आई, इत्यादि।

03. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना मनोहरथाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 18/2018, अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। बाद अनुसंधान अभियुक्त अशोक के विरूद्ध आरोप-पत्र अन्तर्गत धारा 279, 337, 338, 304ए भा.दं.सं. एवं अभियुक्त बीरम के विरूध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 146/196 एम.वी. एक्ट में पेश न्यायालय किया गया। जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराध के आरोपों में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04. अभियुक्त अशोक को धारा 279, 337, 338, 304ए भा.दं.सं. एवं अभियुक्त बीरम को धारा 146/196 एमपी एक्ट के अपराध के आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्तगण द्वारा इन्कार कर अन्वीक्षा चाही गई।

05. अभियोजन की ओर से साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित करवाया गया है-

अभियोजन साक्षी क्रमांक	साक्ष्य की प्रकृति
01. डॉ. अखिलेश वर्मा	चिकित्सकीय साक्षी
02. सुरेश	आहत
03. गुड्डी बाई	आहत
04. गिरधारी	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना

05. कंवरलाल	मृतका की लाश का पंचनामा, सुपुर्दगी
06. बाबूलाल	लाश का पंचनामा
07. गोकुलप्रसाद	अनुसंधान अधिकारी
08. दीपेश	नक्शामौका
09. ताराचंद	मैकेनिकल रिपोर्ट

तथा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया-

प्रदर्श क्रमांक	दस्तावेजात का विवरण	साबित करने वाले साक्षी
प्रदर्श पी01	चोट प्रतिवेदन सुरेश	साक्षी क्रमांक 1
प्रदर्श पी02	एक्सरे प्लेट	साक्षी क्रमांक 1
प्रदर्श पी03	एक्सरे प्लेट	साक्षी क्रमांक 1
प्रदर्श पी04	एक्सरे प्लेट	साक्षी क्रमांक 1
प्रदर्श पी05	एक्सरे कवर नोट	साक्षी क्रमांक 1
प्रदर्श पी06	चोट प्रतिवेदन गुड्डी बाई	साक्षी क्रमांक 1
प्रदर्श पी07	एक्सरे प्लेट	साक्षी क्रमांक 1
प्रदर्श पी08	एक्सरे कवर नोट	साक्षी क्रमांक 1
प्रदर्श पी09	चोट प्रतिवेदन रानी	साक्षी क्रमांक 1
प्रदर्श पी10	एक्सरे प्लेट	साक्षी क्रमांक 1
प्रदर्श पी11	एक्सरे कवर नोट	साक्षी क्रमांक 1
प्रदर्श पी12	नक्शामौका	साक्षी क्रमांक 2,4,7,8
प्रदर्श पी13	तहरीरी रिपोर्ट	साक्षी क्रमांक 4,7
प्रदर्श पी14	पंचनामा लाश	साक्षी क्रमांक 5,6
प्रदर्श पी15	सुपुर्दगी लाश	साक्षी क्रमांक 5
प्रदर्श पी16	चाक एफआईआर	साक्षी क्रमांक 7
प्रदर्श पी17	फर्द डैमेज	साक्षी क्रमांक 7
प्रदर्श पी18	फर्द जप्ती	साक्षी क्रमांक 7
प्रदर्श पी19	नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट	साक्षी क्रमांक 7

प्रदर्श पी20	नोटिस धारा 134 एमवी एक्ट	साक्षी क्रमांक 7
प्रदर्श पी21	आरसी	साक्षी क्रमांक 7
प्रदर्श पी22	डीएल	साक्षी क्रमांक 7
प्रदर्श पी23	मोटरसाईकिल फोटो	साक्षी क्रमांक 7
प्रदर्श पी24	मोटरसाईकिल फोटो	साक्षी क्रमांक 7
प्रदर्श पी25	ट्रैक्टर फोटो	साक्षी क्रमांक 7
प्रदर्श पी26	ट्रैक्टर फोटो	साक्षी क्रमांक 7
प्रदर्श पी27	मैकेनिकल रिपोर्ट	साक्षी क्रमांक 9

06. साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने पर अभियुक्तगण को धारा 313 द.प्र.स. के तहत परीक्षित किया गया, तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा तथा स्वयं को निर्दोष होना अभिकथित किया।

07. बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

08. दौराने बहस अभियोजन अधिकारी के द्वारा जाहिर किया गया कि प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप संदेह से परे प्रमाणित हैं। अतः अभियुक्तगण को आरोपित आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाए।

09. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क दिया कि अभियोजन की ओर से गवाहान की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। किसी भी गवाह के द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है। अतः संदेह का लाभ दिया जाकर अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाए।

10. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रकरण के निस्तारणार्थ मुख्य रूप से अवधारणीय बिन्दु यह है किः-

‘‘1. क्या दिनांक 13.01.2018 को दोपहर 2.00 बजे के लगभग मौजा/स्थान बीनागंज रोड मनोहरथाना सेमलीहाट जोड पर अभियुक्त अशोक के द्वारा वाहन ट्रैक्टर महिन्द्रा डीआई 575 बिना नम्बरी चैचिस नम्बर JKBE02744 **व इंजन नम्बर** JKBE **02744 को लोक मार्ग पर उतावलेपन एंव उपेक्षा से**

संचालित कर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया एवं परिवादी गिरधारीलाल के जवाई सुरेश की मोटरसाईकिल रजिस्ट्रेशन नम्बर एम.पी. 08 एम.पी. 1812 के टक्कर मार दी। जिसके परिणामस्वरूप मोटरसाईकिल चालक सुरेश व गुड्डीबाई व रानी के उक्त दुर्घटना में उनके शरीर पर साधारण एवं गंभीर उपहतियां कारित हुई एवं संजना की मृत्यु कारित हुई?

''2. क्या अभियुक्त बीरम के द्वारा उक्त दिनांक, समय व स्थान पर वाहन ट्रैक्टर महिन्द्रा डीआई 575 बिना नम्बरी चैचिस नम्बर JKBE02744 व इंजन नम्बर JKBE 02744 को बिना बीमा के आपके द्वारा संचालित करवाया गया ?

3. यदि हां, तो अभियुक्त को दण्ड की किस मात्रा से दण्डित किया जाए?''

11. आपराधिक विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को उसकी कहानी अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध एवं प्रमाणित करना होता है। उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 08 गवाहों को परीक्षित करवाया गया है, जिनमें से गवाह पी.ड.04 गिरधारी प्रकरण का परिवादी है तथा गवाह पी.ड.02 सुरेश व पी.ड.03 गुड्डी बाई आहतगण हैं।

12. परिवादी/गवाह पी.ड.04 गिरधारी ने उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि गवाह के बयान लेखबद्ध किये जाने से लगभग छः साल पहले की बात है। वह दुकान पर नौकरी कर रहा था, जहां उसे सूचना मिली कि उसकी बेटी जमाई का एक्सीडेंट हो गया है। जिस पर वह मनोहरथाना अस्पताल पहुंचा जहां उसकी बेटी गुडडीबाई व जमाई सुरेश मिले। सुरेश बेहोश था बेटी होश में थी। जिसने बताया कि उसके पैर में चोट आयी है। उसकी बेटी ने बताया कि वे मोटरसाईकिल से पीहर चांदपुरा आ रहे थे तभी सेमली मोड पर ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। एक्सीडेंट में उसकी एक नवासी की मौके पर मौत हो गयी और दूसरी के चोटे आयी थी। अस्पताल में पुलिस वाले आ गये थे जिन्हे उसने रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी13 है। घटनास्थल का नक्शामौका पुलिस ने उसके सामने बनाया जो प्रदर्श पी12, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि ट्रैक्टर किसका था और कौन चला रहा था यह उसे याद नहीं है।

13. गवाह पी.ड.02 सुरेश जो कि प्रकरण का आहत है ने उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया कि गवाह के बयान लेखबद्ध किये जाने से

लगभग छः साल पहले की बात है। वह, उसकी पत्नी गुडडीबाई, पुत्री रानी तीनों उसके गांव मवासा से चांदपुरा आने के लिये उसकी मोटरसाईकिल से दिन में एक बजे रवाना हुए थे। लगभग 1.30 बजे वह सेमली रोड पर पहुंचा तभी मनोहरथाना की तरफ से एक ट्रैक्टर को तेज गति से लहराते हुए चला कर लाया और उसकी मोटरसाईकिल को उसका चालक टक्कर मार दी, जिससे वह तीनों नीचे गिर गये। जिससे उसके पैर, हाथ सीने में चोट आयी हड्डी टूट गयी। गुडडीबाई का पैर टूट गया। उसकी पुत्री रानीबाई के भी चोटें आयी थी। फिर मौके पर एबुलेंस से मनोहरथाना अस्पताल लाये जहां से झालावाड रेफर कर दिया। दुर्घटना में उसकी लड़की रानी की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। ट्रैक्टर महिंद्रा कंपनी का लाल रंग का था जिसके नंबर उसे याद नहीं है। उसके ससुर ने बताया कि ट्रैक्टर बीरम का था। उसके ससुर दुर्घटना के बाद मनोहरथाना आ गये थे। उसके ससुर ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। झालावाड अस्पताल में करीब 15 दिन तक भर्ती रहा था। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 12 बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसकी चोटों का मेडिकल एक्सरे हुआ था। दौराने जिरह उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि टक्कर लगते ही वह बेहोश हो गये थे। उसके पास मोटरसाईकिल चलाने का लाईसेंस नहीं था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि ट्रैक्टर मालिक का नाम उसे उसके ससुर ने बताया था।

14. गवाह पी.ड.03 गुड्डी बाई जो कि प्रकरण की अन्य आहता है ने उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि गवाह के बयान लेखबद्ध किये जाने से लगभग छः साल पहले की बात है। वह, उसका पति सुरेश व उसकी पुत्री रानी और संजना उसके गांव मवासा से चांदपुरा आने के लिये मोटरसाईकिल से रवाना हुए है। मोटरसाईकिल उसका पति चला रहा था। करीब 2 बजे वह सेमली रोड पहुंचे वहां पर मनोहरथाना की तरफ से एक ट्रैक्टर लाल रंग का महिन्द्रा का तेज गति से लहराते हुए आया और उनकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी, जिससे वे सभी नीचे गिर गये। जिससे उसका पैर टूट गया था हाथ में चोट आयी थी। उसके पति के हाथ पैर और सीने में चोट आयी। पुत्री रानीबाई के भी चोटें आयी थी। पुत्री संजना की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। वह बेहोश हो गयी थी उसे मनोहरथाना अस्पताल में होश आया था। वहां उसके पिता आ गये थे। फिर उन्हे झालावाड रेफर कर दिया। झालावाड वह 15 दिन भर्ती रहे। बाद में उन्हे पता चला कि ट्रैक्टर बीरम का था, जिसे अशोक चला रहा था। उसके पिता ने घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। उसकी चोटों का मेडिकल एक्सरे हुआ

था। दौराने जिरह उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि उनकी मोटरसाईकिल पर वह चार लोग बैठे थे। अज खुद कहा कि दो छोटे बच्चे थे। गवाह ने स्वीकार किया है कि वह मौके पर ही बेहोश हो गयी थी। ट्रैक्टर मालिक व चालक का नाम लोगों के बताने के अनुसार बता रही है एवं वह ट्रैक्टर मालिक व चालक को नहीं जानती थी एवं आज भी वाहन मालिक व चालक को नहीं जानती है।

15. गवाह पी.ड.05 कंवरलाल ने उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि गवाह के बयान लेखबद्ध किये जाने से लगभग 5-6 साल पहले उसकी भतीजी संजना उर्फ मिनाक्षी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। संजना की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी14 है, फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी15 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है।

16. गवाह पी.ड.06 बाबूलाल ने उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि गवाह के बयान लेखबद्ध किये जाने से लगभग 5-6 साल पहले उसकी भानेज संजना उर्फ मिनाक्षी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। संजना की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी14 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

17. गवाह पी.ड.08 दीपेश ने उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि गवाह के बयान लेखबद्ध किये जाने से लगभग 7-8 साल पहले पुलिस ने एक्सीडेंट केस में घटनास्थल का नक्शामौका बनाया था, जो प्रदर्श पी12 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

18. गवाह पी.ड.01 डॉ. अखिलेश शर्मा ने उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 13.01.2018 को सीएचसी मनोहरथाना पर चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन एसएचओ मनोहरथाना के प्रतिवेदन पर आहत सुरेश के शरीर पर आयी चोटों का परीक्षण किया जिसमें निम्न चोटें पायी गयी। चोट नं. 1 कुचला हुआ घाव बायें पैर पर। चोट नं. 2 कुचला हुआ घाव बायें हाथ पर। चोट नं. 3. कुचला हुआ घाव बायें पैर पर बीच में। चोट नं. 4 खरोंच बायीं जाघ पर। चोट नं. 5. खरोंच निचले होंठ पर। चोट नं. 6. सूजन दायें कंधे पर थी। उक्त सभी चोंटें कुंद हथियार से कारित थी। चोट सं. 4,5 साधारण प्रकृति की थी। चोट सं. 1,2,3,6 के लिये एक्स रे की राय दी थी। बाद एक्सरे चोट नं 1,2,3,6 गंभीर प्रकृति की होना पायी गयी थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी। है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी2 लगायत पी4 है। एक्स रे कवर नोट प्रदर्श पी5 है। उसी दिन आहत गुड्डीबाई के शरीर पर आयी चोटों का परीक्षण किया जिसमें निम्न चोटें पायी गयी। चोट नं. 1. सूजन दायीं जांघ पर। चोट नं. 2. सूजन दायें कंधे पर। चोट नं. 3. सीने में दर्द की शिकायत कोई जाहिरा

चोट नहीं थी। चोट नं. 4. खरोंच नाक पर थी। उक्त सभी चोटें कुंद हथियार से कारित थी। चोट सं. 2,3,4 साधारण प्रकृति की थी। चोट सं. 1 के लिये एक्स रे की राय दी थी। बाद एक्सरे चोट नं 1 गंभीर प्रकृति की होना पायी गयी थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी6 है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी7 है। एक्स रे कवर नोट प्रदर्श पी8 है। उसी दिन आहत रानी के शरीर पर आयी चोटों का परीक्षण किया जिसमें निम्न चोटें पायी गयी। चोट नं. 1. सूजन बायें पैर पर थी, जो कुंद हथियार से कारित थी। जिसके लिये एक्स रे की राय दी थी। बाद एक्सरे चोट नं1 गंभीर प्रकृति की होना पायी गयी थी। चोटों की अवधि 24 घंटे के भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी9 है। एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी 10 है। एक्स रे कवर नोट प्रदर्श पी11 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है।

19. गवाह पी.ड.07 गोकुल प्रसाद ने उसके मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 13.01.2018 को थाना मनोहरथाना में एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान उसके द्वारा किया गया था। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी० 13 है। चॉक एफआईआर प्रदर्श पी० 16 है। दौरान अनुसंधान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया जो प्रदर्श पी० 12 है। गवाहन के बयान उनके कहेनुसार लेखबद्ध किये। दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल नंबर एम. पी08 एमपी 1812 की फर्द डैमेज प्रदर्श पी० 17 है। दुर्घटना कारित करने वाले ट्रैक्टर बिना नंबरी महिन्द्रा को जब्त किया, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी० 18 है। जब्तशुदा ट्रैक्टर के स्वामी बीरम को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस देकर जवाब प्राप्त किया। जिसने उसके जवाब में वक्त घटना अशोक के द्वारा वाहन चलाना बताया। नोटिस प्रदर्श पी० 19 है। जवाब के आधार पर अशोक को धारा 134 एमवी एक्ट का नोटिस देकर जवाब प्राप्त किया जिसमें वक्त घटना स्वयं द्वारा वाहन चलाना बताया। नोटिस प्रदर्श पी० 20 है। जब्तशुदा ट्रैक्टर का मैकेनिक मुआयना करवाया। दुर्घटना मोटरसाइकिल की आरसी, की प्रमाणित प्रति संलग्न की तथा जब्तशुदा ट्रैक्टर की आरसी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी0 21 डीएल की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी० 22 संलग्न की थी। मोटरसाइकिल की फोटो प्रदर्श पी0 23 लगायत पी० 24 तथा ट्रैक्टर की फोटो प्रदर्श पी० 25 व पी0 26 हैं। मृतका संजना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट व आहतगण सुरेश, गुडीबाई, रानी की चोट प्रतिवेदन व एक्स-रे प्राप्त कर संलग्न किये। सम्पूर्ण अनुसधान से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने से पत्रावली एसएचओ साहब को पेश की जिन्होंने पत्रावली न्यायालय में पेश की। दौराने जिरह उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि प्रार्थी गिरधारीलाल चश्मदीद साक्षी नहीं

है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि गवाहों ने ट्रैक्टर चालक का नाम नहीं बताया था।

20. उल्लेखनीय है कि प्रकरण के परिवादी गवाह पी.ड.04 गिरधारी द्वारा उसके मुख्य परीक्षण में दुर्घटना ट्रैक्टर से होना बताया है परन्तु उक्त गवाह ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक के संबंध में उसके बयानों में कोई कथन नहीं किया है। इसी प्रकार प्रकरण के आहतगण एवं महत्वपूर्ण गवाहों पी.ड.02 सुरेश व पी.ड.03 गुड्डी बाई द्वारा भी दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक व वाहन के नम्बर के बारे में कोई कथन नहीं किया है। हालांकि गवाह पी.ड.02 सुरेश ने बताया है कि उसके ससुर गिरधारी ने उसे बताया था कि ट्रैक्टर बीरम का था। इसी प्रकार गवाह पी.ड.03 गुड्डी बाई ने उसके बयानों में बताया है कि उन्हे बाद में पता चला था कि ट्रैक्टर बीरम का था, जिसे अशोक चला रहा था, लेकिन गवाह पी.ड.04 गिरधारी उसके बयानों में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नम्बर या चालक की पहचान के संबंध में कोई कथन नहीं किया है तथा दुर्घटना की सूचना मिलने पर सीधे अस्पताल जाना बता रहा है। किसी भी चश्मदीद गवाह ने दुर्घटना कारित करने वाले ट्रैक्टर के नम्बर व अभियुक्त की पहचान के संबंध में कोई कथन नहीं किया है, मात्र धारा 133 एमवी एक्ट के नोटिस के जवाब के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।अभियोजन कहानी संदेहास्पद प्रतीत होती है।

21. इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा जो समस्त साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उससे यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है कि दिनांक 13.01.2018 को दोपहर 2.00 बजे के लगभग मौजा/स्थान बीनागंज रोड मनोहरथाना सेमलीहाट जोड पर अभियुक्त अशोक के द्वारा वाहन ट्रैक्टर महिन्द्रा डीआई 575 बिना नम्बरी चैचिस नम्बर JKBE02744 व इंजन नम्बर JKBE 02744 को लोक मार्ग पर उतावलेपन एंव उपेक्षा से संचालित कर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया एवं परिवादी गिरधारीलाल के जवाई सुरेश की मोटरसाईकिल रजिस्ट्रेशन नम्बर एम.पी. 08 एम.पी. 1812 के टक्कर मार दी। जिसके परिणामस्वरूप मोटरसाईकिल चालक सुरेश व गुड्डीबाई व रानी के उक्त दुर्घटना में उनके शरीर पर साधारण एवं गंभीर उपहतियां कारित हुई एवं संजना की मृत्यु कारित हुई हो एवं अभियुक्त बीरम के द्वारा उक्त दिनांक, समय व स्थान पर वाहन ट्रैक्टर महिन्द्रा डीआई 575 बिना नम्बरी चैचिस नम्बर JKBE02744 व इंजन नम्बर JKBE 02744 को बिना बीमा के आपके द्वारा संचालित करवाया गया हो। अतः अभियुक्त

अशोक आरोपित अपराध धारा 279, 337, 338, 304ए भा०दं०सं० एवं अभियुक्त बीरम आरोपित अपराध धारा 146/196 मोटर वाहन अधिनियम के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

--आदेश--

22. अतः अभियुक्त 1. अशोक पुत्र बनवारी लाल उम्र 51 वर्ष निवासी किला अमरगढ़ पुलिस थाना कालीपीठ जिला राजगढ़ (म.प्र.) को आरोपित अपराध धारा 279, 337, 338, 304ए भारतीय दण्ड संहिता एवं अभियुक्त 2. बीरम पुत्र धुलीलाल उम्र 52 वर्ष निवासी खानपुरिया पुलिस थाना मनोहरथाना जिला झालावाड़ (राज०) को आरोपित अपराध धारा 146/196 मोटर वाहन अधिनियम के अपराध के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

23. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पूर्व में उसके स्वामी को सुपुर्दगी पर दिया हुआ है, जो उसी के पास रहे, बाद गुजरने मियाद अपील सुपुर्दगीनामा, जमानतनामा निरस्त समझा जावे।

24. अभियुक्तगण के द्वारा धारा 437(ए) द्र.प्र.सं. के तहत 10,000-10,000/- रूपये का जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका 6 माह की अवधि के लिए इस शर्त के साथ पेश कर तस्दीक करवाये जा चुके है कि प्रकरण में उक्त अवधि में अपील/निगरानी होने पर वे स्वयं न्यायालय में उपस्थित होगे। अभियुक्तगण के न्यायालय में नियमित हाजरी बाबत् पूर्व में पेशशुदा जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(शारिक हुसैन)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मनोहरथाना, जिला-झालावाड़ (राज०)

25. निर्णय आज दिनांक 12.03.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित, मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

(शारिक हुसैन)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मनोहरथाना, जिला-झालावाड़ (राज०)

प्रमाण पत्र

निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

MOHAN SONI

Steno Gr. II "Authenticate document" Digitally signed by MOHAN SONI Date: 2026.03.13 14:38:08 +0530

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।